

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 114]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी 2026 — फाल्गुन 8, शक 1947

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 26 फरवरी 2026

अधिसूचना

क्रमांक GENCOR/11766/2025-HOUSING. — जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974, (1974 का सं. 6) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से परामर्श के पश्चात् एतद्वारा, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) छत्तीसगढ़ नियम 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में :-

उपाबंध के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“उपाबंध
शक्तियों का प्रत्यायोजन

नियम 7 के उप-नियम (4), नियम 9 के उप-नियम (6) तथा नियम 12 के अधीन

वित्तीय शक्तियां

स.क्र.	शक्तियों की विशिष्टियाँ	अध्यक्ष की शक्तियाँ	सदस्य सचिव की शक्तियाँ	मंडल की शक्तियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	यात्रा-भत्ता बिलों तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों पर प्रति हस्ताक्षर करना।	स्वयं हेतु पूर्ण शक्ति	समस्त प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों तथा मण्डल के अशासकीय सदस्यों के यात्रा-भत्ता बिल	पूर्ण शक्ति
2.	मण्डल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को राज्य के बाहर की यात्राओं की स्वीकृति देना।	—	पूर्ण शक्ति	पूर्ण शक्ति

3.	प्रत्येक मामले में दौरे पर 10 दिन तक के विश्राम पर दैनिक भत्ते के संदाय को सीमित करने वाले नियम से छूट प्रदान करना।	—	30 दिन तक की पूर्ण शक्ति	30 दिन से अधिक की पूर्ण शक्ति
4.	अतिरिक्त धारित पद के न्यूनतम वेतन के 10 प्रतिशत से अनधिक विशेष वेतन स्वीकृति करने की शक्ति।	समस्त कर्मचारियों के लिए 12 माह से अनधिक कालावधि हेतु	—	—
5.	(क) आकस्मिक व्यय स्वीकृत करना।	अनावर्ती स्वरूप की एकल मद के लिये 10,00,000 रु. तक तथा आवर्ती स्वरूप की मदों के लिये 5,00,000 रु. तक	अनावर्ती स्वरूप की एकल मद के लिये 5,00,000 रु. तक तथा आवर्ती स्वरूप की मदों के लिये 3,00,000 रु. तक	पूर्ण शक्ति
	(ख) भाव आदि आमंत्रित किये बिना स्थानीय बाजार से छोटी-मोटी खरीदी।	—	सदस्य सचिव, एक समय में स्थानीय बाजार से किसी एक ऐसी वस्तु जिसका मूल्य 50,000 रु. से अधिक न हो, की खरीदी नगद के रूप से कर सकेगा। सदस्य सचिव, अध्यक्ष के अनुमोदन के बिना किसी भी ऐसी वस्तु, जिसका मूल्य 50,000 रु. से अधिक हो, की खरीदी नगद के रूप में नहीं करेगा।	पूर्ण शक्ति
6.	लेखन सामग्री आदि की खरीद।	—	प्रतिमाह 1,00,000 रु. तक	पूर्ण शक्ति
7.	पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाओं की खरीद।	बजट प्रावधान तक पूर्ण शक्ति	प्रतिमाह 1,00,000 रु. तक	पूर्ण शक्ति
8.	बेकार माल को बट्टे खाते में डालना।	—	प्रत्येक मामले में 1,00,000 रु. तक	पूर्ण शक्ति
9.	शोरूम, गैरेज कार्यालय आदि भवनों को भाड़े पर लेना।	—	प्रतिवर्ष 10,00,000 रु. तक	पूर्ण शक्ति
10.	सिविल कार्यों के अनुमानों का अनुमोदन करना और उपकरणों की खरीदी।	—	प्रतिवर्ष 20,00,000 रु. तक	पूर्ण शक्ति
11.	आहार-विहार तथा मंडल के कार्यकलापों के संबंध में अन्य विभिन्न मदों पर व्यय की स्वीकृति देना।	—	एक बार में 3,00,000 रु. तक	पूर्ण शक्ति
12.	आकस्मिकता निधि से वेतन का संदाय किये जाने वाले पदों का सृजन।	—	पूर्ण शक्ति	पूर्ण शक्ति
13.	निविदाओं की स्वीकृति।	बजट प्रावधान तक पूर्ण शक्ति	50,00,000 रु. तक	पूर्ण शक्ति
14.	(क) खुली निविदाएं तथा एकाधिक वैध निविदाएं।	—	50,00,000 रु. तक	पूर्ण शक्ति
	(ख) आपातकाल के कारण निविदाओं को आमंत्रित किये बिना निविदाओं की स्वीकृति	—	3,00,000 रु. तक	पूर्ण शक्ति
15.	सर्वेक्षण वस्तुओं की खरीद।	—	5,00,000 रु. तक	पूर्ण शक्ति

16.	प्रयोगशाला उपस्करों की खरीद।	—	5,00,000 रु. तक	पूर्ण शक्ति
17.	विज्ञापन/मुद्रण प्रभारों की स्वीकृति देना	एक समय में 2,00,000 रु तक	एक समय में 50,000 रु. तक	पूर्ण शक्ति
18.	सामग्रियों को अधिशेष तथा बेकार घोषित करना तथा उनके रक्षित/पुनर्विक्रय मूल्य नियत करना तथा उनके व्ययन का ढंग विहित करना।	—	2,00,000 रु. तक	पूर्ण शक्ति
19.	खरीद की मदों से भिन्न आपातकालीन निर्माण कार्यों के लिये व्यय।	—	5,00,000 रु. तक	पूर्ण शक्ति
20.	हानियों को बट्टे खाते डालने की स्वीकृति देना (क) जो चोरी, कपट तथा उपेक्षा के कारण न हुई हो. (ख) जांच के अध्वधीन रहते हुये कपट, चोरी या उपेक्षा के कारण हुई हो.	— —	— —	पूर्ण शक्ति पूर्ण शक्ति
21.	विलंब-शुल्क/घाट भाड़ा की स्वीकृति	—	प्रत्येक मामले में 25,000 रु. तक	पूर्ण शक्ति
22.	निधियों का विनिधान	—	पूर्ण शक्ति	पूर्ण शक्ति
23.	कर्मचारियों को अग्रिमों का भुगतान	—	—	—
	(क) मोटर कार/मोटर साइकिल/साइकिल	—	प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के लिए पूर्ण शक्ति	—
	(ख) भवन-निर्माण	—	प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के लिए पूर्ण शक्ति	—
	(ग) यात्रा-भत्ता	—	प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों और मण्डल के अशासकीय सदस्यों को नियमानुसार पूर्ण शक्ति	—

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 26 फरवरी 2026

क्रमांक GENCOR/11766/2025-HOUSING. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26-02-2026 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 26th February 2026

NOTIFICATION

No. GENCOR/11766/2025-HOUSING. – In exercise of the powers conferred by section 64 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974), the State Government, after consultation with the Chhattisgarh Environment Conservation Board, hereby, makes the following further amendment in the Water (Prevention and Control of Pollution) Chhattisgarh Rules, 1975, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, -

For Annexure, the following shall be substituted, namely :-

“ANNEXURE
DELEGATION OF POWERS

Under sub-rule (4) of rule 7, sub-rule (6) of rule 9 and rule 12

FINANCIAL POWERS

S. No.	Particulars of Powers	Powers of Chairman	Powers of Member-Secretary	Powers of Board
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	To Countersign Travel Allowance (T.A.) Bills and Medical reimbursement bills.	Full Power for himself	All Class-I and Class-II Officers and Travel Allowance (T.A.) bills of Non-official members of the Board	Full power
2	To sanction journeys of Boards officers and employees outside the State.	-	Full power	Full power
3	To grant exemption from the rule of limit of payment of daily allowance to halts on tour 10 days in each case.	-	Full power upto 30 days	Full power beyond 30 days
4	Power to sanction special pay not exceeding 10% of the minimum pay of the additional post held.	For a period not exceeding 12 months for all staff.	-	-
5	(a) To sanction contingent expenditure	Upto ₹10,00,000 for single item of non-recurring nature and ₹ 5,00,000 for item of non – recurring nature	Upto ₹ 5,00,000 for single item of non-recurring nature and ₹ 3,00,000 for item of non-recurring nature	Full power
	(b) To make petty purchase from local market without calling quotations etc.	-	The Member Secretary may purchase any one article not exceeding ₹ 50,000 in value at a time in cash from local market. No article of the value of which exceeds ₹ 50,000 shall be purchased in cash by the Member Secretary without the approval of the Chairman.	Full power

6	Purchase of stationary articles etc..	-	Upto ₹ 1,00,000 per month.	Full power
7	Purchase of Books and Journals.	Full power upto budget provisions	Upto ₹ 1,00,000 per month.	Full power
8	Write off dead stock.	-	Upto ₹ 1,00,000 in each case.	Full power
9	Hiring of building for Showrooms, garages, office etc..	-	Upto ₹ 10,00,000 per annum.	Full power
10	To approve estimates for civil works and purchase of equipments.	-	Upto ₹ 20,00,000 per annum	Full power
11	To sanction expenditure on entertainment and other miscellaneous items in connections with the affairs if the Board.	-	Upto ₹ 3,00,000 at a time.	Full power
12	Creation of posts of contingency paid staffs.	-	Full power	Full power
13	Acceptance of Tenders.	Full power upto budget provisions	Upto ₹ 50,00,000	Full power
14	(a) Open tenders and more than one valid tender.	-	Upto ₹ 50,00,000	Full power
	(b) Acceptance of contracts without inviting tenders due to emergency.	-	Upto ₹ 3,00,000	Full power
15	Purchase of Survey Articles.	-	Upto ₹ 5,00,000	Full power
16	Purchase of Laboratory equipment.	-	Upto ₹ 5,00,000	Full power
17	Sanction of advertisement/ printing charges.	Upto ₹ 2,00,000 at a time	Upto ₹ 50,000 at a time	Full power
18	To declare stores as surplus unserviceable and to fix their reserve/resale price and to prescribe the mode of their disposal.	-	Upto ₹ 2,00,000	Full power
19	Expenditure for emergency construction of works other than item of purchase	-	Upto ₹ 5,00,000	Full power
20	To sanction write off losses. (a) Not due to theft, fraud and negligence.	-	-	Full power
	(b) Due to fraud, theft or negligence subject to enquiry.	-	-	Full power
21	Sanction of demurrage/ Wharfage.	-	Upto ₹ 25,000 in each case.	Full power
22	Investment of funds.	-	Full power	Full power
23	Payments of advance to the employees.			
	(a) Motor Car/Motor Cycle/ Cycle.	-	Full Power as per rules to Class-I and Class-II officers.	-
	(b) House Building.	-	Full Power as per rules to Class-I and Class -II officers.	-

	(c) Travelling Allowance.	-	Full Power as per rules to to Class-I and Class - II officers and non-official members of the Board.	-"
--	---------------------------	---	--	----

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DEVENDRA SINGH BHARDWAJ, Special Secretary.